



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1094

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18600 वर्ष 2025

खुर्शीद अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : मलिक नईम उद्दीन, सतेंद्र कुमार सिंह,
सुरेश चंद्र वर्मा
प्रतिवादी(गण)के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र वर्मा, साथ ही राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति 18.06.2006 को वाराणसी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन्स में आरक्षी के पद पर हुई थी और उसे प्रधान आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया गया था, तथा रिट याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी माता गंभीर रूप से बीमार थीं और रिट याचिकाकर्ता का परिवार वर्तमान में वाराणसी कमिश्नरेट के खजूरी कॉलोनी स्थित क्वार्टर संख्या एफटी-01/05 में रह रहा है, तथा यद्यपि रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका स्थानांतरण जौनपुर से चंदौली कर दिया गया था, फिर भी प्रचलित परिपत्रों के दृष्टिगत,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट याचिकाकर्ता वाराणसी कमिश्नरेट के खजूरी रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित ब्लॉक 30 में क्वार्टर संख्या टी-1/265 या कोई अन्य वैकल्पिक आवास आवंटित किए जाने का दावा करता है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि उन्हें 10.12.2025 को निर्देश प्राप्त करने थे, फिर भी उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, उनके अनुसार, इस मामले का प्रथम दृष्ट्या निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, सहायक आयुक्त, पुलिस लाइन्स, वाराणसी द्वारा किया जाना चाहिए।

4. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तीसरे प्रतिवादी, सहायक आयुक्त, पुलिस लाइन्स, वाराणसी के समक्ष **09.01.2026** तक एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 छह सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

5. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश